न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 3 / 2012

राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....प्रार्थी

बनाम

1—जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट निवासी ग्राम रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2—शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक नदबई

.....अप्रार्थी0

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत हाल आरजी खसरा नं0 साविक 297 / 1447 रकवा 0.38 हैक्ट0 बाके ग्राम रौनीजा।

उपस्थित :—

1—श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री सुगड सिंह एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक 13.06.2019

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्बत 2028 ग्रांम रौनीजा तहसील नदबई व जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर 297 / 1447 रकवा 0.38 किस्म चाही दोयम बाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई व जिला भरतपुर में स्थित है। गैर मुमकिन पोखर मकबूजा मालकान सरकारी खाते में दर्ज रिकार्ड है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आती है। यह साविक जमाबन्दी सम्वत 2028 खसरा नं0 297 रकवा 16 बीघा 16 विस्वा गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम रौनीजा मुताबिक मिशिल हकीकत सम्बत 2028 दर्ज रिकार्ड था। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 09.05.1985 के अनुसार के अनुसार आराजी खसरा नं0 247 / 2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा बाके ग्राम रौनीजा जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट निवासी रौनीजा को नियमन किया गया था। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 282

रेफरेन्स संख्या 3/12
सरकार बनाम जगदीश

निर्णय दिनांक 29.05.1985 जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड स्वीकार हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 490 निर्णय दिनांक 27.06.1992 से आराजी खसरा नं0 247/2 1 बीघा 10 बिस्वा पर जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट साकिन खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। भूप्रबन्धक सम्वत 2060 के अनुसार खसरा नं0 247/2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा का हाल आराजी खसरा नं0 297/1447 रकवा 0.38 हैक्टर बना है जो वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069 लगायत 2072 के अनुसार जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट साकिन देह खातेदार राकिन आरजीबी नदबई मुर्त. दर्ज रिकार्ड है। साविक खसरा नं0 247 की भूमि वर्ष 1985 से पूर्व गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकार्ड थी। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पानी के बहाव क्षेत्र एवं कैचमेन्ट क्षेत्र की किस्म गैर मुमकिन पोखर भूमि थी। ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटत हेतु प्रतिबन्धित है।

आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के इस आराजी का आंवटन नहीं किया जा सकता है। यह रेफरेन्स प्रकरण रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 सूओमोटो बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश हैं। राजस्थान सरकार (ग्रुप –7) विभाग जयपुर के पत्रांक प–3(146) राज.–7/2011 दिनांक 26.02.2012 के बिन्दु 3 में उक्त प्रकार की भूमियों को धारा 16 आरटीए 1955 के विपरीत मानते हुए इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31.10.1995 की स्थिति दर्ज किये जाने के निर्देश हैं। उक्त भूमि गत खसरा नं0 247/2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा का हाल आराजी खसरा नं0 297/1447 रकवा 0.38 हैक्टर 31.10.1955 से पूर्व गैर मुमकिन पोखर सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी। जो आरटीए 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित थी। गलत रूप से नियमन किया गया है। यह कि नियम विरूद्व नियमन आवंटन होने के कारण नामान्तकरण संख्या 282 गैर खातेदार एवं नामान्तकरण संख्या 490 खातेदारी एवं नामान्तकरण संख्या 232 रहननामा निरस्त किया जाकर वर्तमान खातेदारी रहन के इन्द्राज कलमजन किया जाना उचित है। रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर खातेदारी इन्द्राज को निरस्त फरमावे।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 16 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 297/1447 रकवा 0.38 है0 पोखर का रकवा है। खसरा नम्बर 247/2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा पोखर को अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया है। जो नियमों के खिलाफ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के ऐसी भूमियों का आंबटन नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में भी ऐसी भूमियों पर अगर खातेदारी देदी गई है तो वापिस पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की व्यवस्था दी गई है की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर गैर मुमकिन पोखर है जिस पर नियम विरुद्व किया आबटन एवं उस पर किये गैर खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराया जाना आवश्यक है। गलत आदेश के विरुद्व कभी भी रेफरेन्स किया जासकता है। राजकीय अभिभाषक ने हमारा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ – 10 राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है चारागाह भूमियों/जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) **और तालाबों** (ponds) **की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे** आकर्षित करते हुये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि खसरा नम्बर 247/2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा का मेरे नाम नियमन हो गया है। नियमन सिवायचक भूमि का हुआ है। गैर मुमकिन पोखर का नहीं हुआ है। अप्रार्थी अभिभाषक ने जाहिर किया है कि तहसीलदार ने ग्राम पंचायत से रिपोर्ट ली । संम्बन्धित भूमि पर कोई पानी बहाव नहीं है। रेफरेन्स खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमांबदी सम्वत 2028, बाके ग्रांम रौनीजा तहसील नदबई में गत खसरा नम्बर 297 गैरमुमकिन पोखर दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग ने गत आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 16 बीघा 14 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 297/1447 रकवा 0.38 हैक्टर बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एव राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 के नियम 4 के ऐसी भूमियों को किसी प्रकार आबंटन नहीं किया जा सकता है। नकल नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 29.05.1995 से जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट साकिन रौनीजा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 490 दिनांक 27.06.1992से आराजी खसरा नं0 247/2 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट साकिन रौनीजा खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है। अप्रार्थी0 को विरासतन गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकार किया गया है। गैर खातेदारी,खातेदारी एवं इसके बाद खोले गये विरासतन से

खोले गये/स्वीकार किये सभी नामान्तकरण विधि विरुद्व होने से काबिल खारिज के रहते हैं। विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी. कोई रिलीफ पाने के हकदार नहीं रहते हैं। प्रकरण रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार की पालना, एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–10 राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में जलोद भूमि गैर मुमकिन पोखर की सन् 1955 की स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि साविक खसरा नम्बर 297 रकवा 16 बीघा 14 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 297/1447 0.38 हैक्टर गैर मुमकिन पोखर ग्राम रौनीजा ,तहसील नदबई पर अवैध इन्द्राज कर खातेदारी एवं विरासत के नामान्तकरण संख्या 490 निरस्त किये जाकर विवादित आराजी को पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं अप्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाकर पूर्व की भांति विवादित आराजी को गैर मुमकिन पोखर ग्राम रौनीजा तहसील नदबई राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की आज्ञा दी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 26–07–2019 को उपस्थित हों । निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर